

धरणीपाल | पोखरा २०७३ १२५७२०

२०^{१०}/_{२३} पत्रावली पेश गर्ने। कसैले उपपत्र उप) पत्रावली का
व्याप्त प्रयोग अप्पोजन गिया गया पत्रावली में निम्नलिखित
आवली के स्वयंसे वंशिलकार लल्लोट को और से
निम्नलिखित उपपत्र है पित पर ब्याडी चक्र को गैर अप्पोजन ही
अन. वंशिलकार लल्लोट द्वारा प्रपत्र निम्नलिखित उपपत्र
द्वारा कट एवं प्रमाण उवाचिक मुद्रापर आदिम रूप
से उकी गरी को गरी है। निम्नलिखित उपपत्र से निम्नलिखित
पत्र धार मिलल किया गया निम्नलिखित उपपत्र निम्नलिखित
उपपत्र से एक एक गरी पत्रावली हेतु वंशिलकार
लल्लोट को निम्नलिखित उपपत्र। पत्रावली का इतिहास
द्वारा को मिलल है। निम्नलिखित उपपत्र बाया

उपपत्र अधिकारी
मुद्रा मुद्रा (मुद्रा)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर, लालसोट जिला दौसा

मुकदमा संख्या- 125/2020

प्रविष्टि दिनांक :- 12.11.2020

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

घासीलाल व अन्य बनाम पांचूराम व अन्य

वाद भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अ० धारा 53 व 188 रा० का० अधि०

:निर्णय:

दिनांक:- 20/10/23

उपस्थित:- वादीपक्ष अधिवक्ता:- श्री के० के० सैनी एडवोकेट
प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता वादीगण श्री के० के० सैनी उप०। विभाजन प्रस्ताव के संबंध में वादीपक्ष अधि० को सुना गया। पत्रावली पर ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। वादी अधि० द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि तहसीलदार लालसोट की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत बनाये गया है जो कि मौके पर आधिपत्यनुसार एवं रकबेनुसार बाई मीटस एवं बाउण्डस मौके पर जाकर तैयार किये गये हैं जिसके संबंध में निर्धारित प्रपत्र में तथा प्रतिवादी को जरिये नोटिश् पूर्व सूचना भी दी गई है इसलिये तहसीलदार लालसोट की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं संबंधित विधि अनुसार हम वादी पक्ष से सहमत हैं तथा तहसीलदार लालसोट की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में तथ्य एवं विधि की कोई भूल प्रकट नहीं होती है इसलिये तहसीलदार लालसोट की ओर से प्रस्तुत विभाजन

उपर्युक्त अधिकाारी
नरेन्द्र कुमार मीना (राज०)

प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रकरण को अंतिम तौर पर इस आशय से निर्णित किया जाकर तहसीलदार लालसोट की आरे से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित भूमियो का विभाजन कर पृथक-पृथक खाता व लगान सरकारी कायम किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री पारित की जाती है।

क्र० सं०	नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा बीघा /बिस्वा	किस्म	लगान	विशेष विवरण
1	घासीलाल मोहरसिंह	33/1	1.03			संलग्न नक्शे में वर्णित है।
	रूपसिंह पि० कल्याण	33/3	0.10			
	लक्ष्मा पत्नी कल्याण	33/4	0.03			
	जाति सा० देह	33/7	0.19			
	खातेदार राहिन आई. सी.आई.सी.आई बैंक शाखा लालसोट	33/9	1.04			
योग	किता -5	3.19	बीघा		2.37	
2	पंचूराम पुत्र श्रीया हि. 1/4 गोपाल, गेन्दालाल पि० देवा हि० 1/10 विश्राम पुत्र रंगलाल हि० 1/20 तीजोदेवी पत्नी हरलाल हि० 21/122 घासी लाल, मोहरसिंह रूपसिंह पि० कल्याण, लक्ष्मा पुत्री कल्याण हि० 80/122, गिराज गजराज पि० भोरया हि० 14/122 भूली पत्नी भोरया हि०	33/5	0.08		0.24	रास्ते के उपयोग

	7/122 दर हि0 1/4 रामजीलाल अर्जुन पि0 देवा हि0 1/10 धन्ना लाल पुत्र रामदेवा हि0 1/4 जाति गुर्जर सादेह. खातेदार रहन बदस्तूर संलग्न जमाबंदी अनुसार					
	योग	किता -1	0.08 बी.		0.24	
3	पांचूलाल पुत्र श्रीया हि0 757/2529 गोपाल, गेन्दालाल पि0 देवा हि0 603/5058 विश्राम पुत्र रंगलाल हि0 602/10116 तीजोदेवी पत्नी हरलाल हि0 259/5058 गिर्राज गजराज पि0 भौरया हि0 177/5058 भूली पत्नी भौरया हि0 87/5058 रामजीलाल अर्जुन पि0 देवा हि0 603/5058 धन्नालाल पुत्र रामदेवा हि. 757/2529 कौम गुर्जर सादेह खातेदार रहन बदस्तूर जमाबंदी	33/2 33/6 33/8 33/10	15.02 3.02 1.12 0.04			संलग्न नक्शे में वर्णित है
	योग	किता-4	20 बीघा		12.02	
4	कल्याण पुत्र श्यामनारायण जाति गुर्जर सादेह खातेदार	6/2 148/1811 32/1	0.06 0.08 0.12	बा0 ।	1.70	संलग्न नक्शे में वर्णित है

उपस्थान्त आधिकारी
लालसोत विभा रोसा (उज्जैन)


	राहिन आई.सी.आई.सी.	37 / 1	0.06			
	आई शाखा लालसोट	37 / 5	1.00			
		37 / 7	0.16			
		37 / 3	1.13			
		34 / 1	0.01.10			
	योग	किता 8	1.02.10		7.54	
5	गोपाल, गेन्दालाल पि.	6 / 1	2.19			संलग्न
	देवाहि. 1556 / 14258	148 / 18 / 2	4.14			नक्शे में
	विश्राम पुत्र रंगलाल	32 / 2	6.17			वर्णित है
	हि. 778 / 14258	34 / 2	0.04.10			
	धन्नालाल पुत्र रामेदवा	36	0.07			
	हि. 3888 / 14258	37 / 4	0.12			
	पांच्या पुत्र श्रीया हि.	37 / 6	0.17			
	3388 / 14258 रामजी	37 / 2	39.17			
	लाल अर्जुन पि० देवा					
	हि० 1556 / 14258					
	गिर्राज गजराज पि०					
	भौरया हि०					
	864 / 14258 मूली					
	पत्नी भौरया हि.					
	432 / 14258 सुरज्ञान					
	खुशलाल पि. हरलाल					
	हि. 1296 / 14258					
	जाति गुर्जर सा. देह					
	खातेदार राहिन					
	बदस्तूर जमाबंदी					
	योग	किता 8	56.07.10		83.98	

उपरोक्त विभाजन अनुसार उभय पक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज रहें तथा उपरोक्त विवरण अनुसार अंतिम मूर्तत होंगे तथा नक्शा कुर्रैजात डिक्री का पार्ट रहेगे। तथा प्रतिवादी सं० 1 लगायत को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के लिये सदैव के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त बुवाई जुताई कृषि

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

सुधार एवं विकास कार्य करने कराने मे दखलन्दाजी नही करेगे न हि किसी अन्यभेकरवायेगे। तदनुसार पर्चा अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार लालसोट को आदेश व अन्तिम डिक्री की प्रति व एक प्रति विभाजन प्रस्ताव के साथ पालना हेतु अविलम्ब भिलवाया जावे। चूंकि प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही है अतएव पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद क्षतिपूर्ति नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपरसुट्टे अधिकारी
लालसोट जिला (राज०)
लालसोट जिला दौसा